फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

जगदीश बनाम शान्ति देवी वगै0

नं0 :—116 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली इन्तजार अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 06.06.24 को पेश हों। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	
06.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु0। इनको बार—बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगातय 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की एक तरफा मजीत बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम साईवाड, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 421 रकबा 1.2300है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ	